मोहनी – इरमान आदि अ.सं. 86/19

दिनांक	आज्ञा पत्र	
18.6.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बहस हेतु दिनांक 19.7.24 को पेश हो।	
19.7.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 14.8.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर कार्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
14.8.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 86/2019

1 सोहनी उम्र 56 साल पत्नी स्व. रणजीत सिंह जाति जाट निवासी भूमा छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट

वनाम

1 हरलाल सिंह पुत्र स्व. तुलछीराम जाति जाति जाट निवासी भूमा छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
2 सोनी देवी मृत।
2/1 भगवानी पुत्री स्व. तुलछाराम जाति जाट निवासी भूमा छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
3 आनन्दी पुत्र रणजीत सिंह
4 सुनिता पुत्री रणजीत सिंह
5 लिछमणराम पुत्र हरदेवाराम
समस्त जाति जाट निवासी भूमा छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
6 पटवारी हल्का बादूसर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
7 सरपंच ग्राम पंचायत बादूसर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
8 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
9 उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
10 जिला कलेक्टेर सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांकित 12.09.2019
बउनवानी सोहनी बनाम हरलाल सिंह आदि न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ मुं.नं. 102/2009 पीठासीन
अधिकारी डॉ. कुलराज मीणा आरएएस अपील अन्तर्गत
धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री फुलचन्द थालौड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल , अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 15.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 102/2009 में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया अपीलांट ने एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा एवं हक परित्याग बाबत भूमि खसरा नम्बर 257, 305, 306, 307 वाके ग्राम भूमा छोटा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वादिया का वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट विवादित कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है और कृषि भूमियां पैत्रिक है जो अपीलांट के ससुर का देहान्त पर विरासत में मिली है अपीलांट के ससुर तुलछाराम के दो पुत्र हुए हरलाल व रणजीत थे। रणजीत का अपने पिता तुलछाराम से पूर्व ही देहान्त हो गया। रणजीत की विधवा पत्नी व पुत्रियां और माता पिता तुलछाराम व सोनी एक साथ परिवार में रहते हुए अपीलांट के ससुर तुलछाराम का देहान्त हो गया और विवादित आराजियात में से 1/2 तुलछाराम के हक हिस्से पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 का 1/2 हक हिस्सा पर काबिज काश्तकार थी व 1/2 हक हिस्से पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 काबिज काश्तकार या अपीलांट अपने सास ससुर की सेवा निर्बाध रूप से कर रही थी और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने माता सोनी को बहला फुसलाकर अपने नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज का हक परित्याग पने पक्ष में निष्पादित करा लिया। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 का तुलछाराम के हक 1/2 में से आधे हिस्से का काबिज काश्त कर रही थी। जिसको बेदखल करने पर अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के खिलाफ विचारण न्यायालय में अपने अधिकारों की उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा से हक परित्याग को प्रभावहीन व शून्य घोषित का दावा प्रस्तुत किया। जिसकी सुनवायी का अधिकार केवल मात्र विचारण न्यायालय को है लेकिन विचारण न्यायालय ने केवल कयास के आधार पर बिना माईण्ड अप्लाई किये गये जैर अपील पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन वाद इस निष्कर्ष के साथ खारिज किये जाने में गंभीर त्रुटि की गयी है कि वादिया के दावा से पूर्व में भी आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का आवेदन दिनांक 15.03.2011 को खारिज होने पर पुनः रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के द्वारा पुन पेश होने पर जो रेसजुडिकेटा की श्रेणी में आता है। विचारण न्यायालय ने वादिया/अपीलांट का वाद पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया है जबकि कानून पुनः आदेश 07 नियम 11 (डी) सीपीसी के तहत प्रस्तुत वाद खारिज नहीं किया जा सकता जबकि पत्रावली तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विधि सम्मत निर्णय पारित करना चाहिए था कि प्रस्तुत दावा विधि द्वारा वर्जित था का निर्णय पूर्व में विचारण न्यायालय ने कर दिया जो पुनः आदेश 07 नियम 11 (डी) सीपीसी में वाद खारिज किया इसलिए निर्णय व जैर अपील निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का देहान्त होने पर उनके पुत्री भगवानी को पक्षकार बनाया है और रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 का हित अपीलांट के हित के समान होने के कारण उन्हें प्रस्तुत अपील में परफोरमा रेस्पोडेन्ट बनाया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत नकल निर्णय दिनांक 18.07.2007 माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश लक्ष्मणगढ़ सीकर मु.नं. 24/2009 उनवानी सोहनी देवी बनाम हरलाल सिंह आदि के अनुसार वादिया का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं हक परित्याग पत्र दिनांक 09.06.2009 को निरस्त किये जाने हेतु अस्वीकार कर खारिज किया गया है। इसलिए विचारण न्यायलाय ने यह वाद राजस्व न्यायालय में पोषणीय नहीं मानकर, वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण वादपत्र को नामंजूर किया जाकर आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत नकल निर्णय दिनांक 18.07.2007 माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश लक्ष्मणगढ़ सीकर मु.नं. 24/2009 उनवानी सोहनी देवी बनाम हरलाल सिंह आदि के अनुसार वादिया का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं हक परित्याग पत्र दिनांक 09.06.2009 को निरस्त किये जाने हेतु अस्वीकार कर खारिज किया गया है। इसलिए विचारण न्यायलाय ने यह वाद राजस्व न्यायालय में पोषणीय नहीं मानकर,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण वादपत्र को नामंजूर किया जाकर आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.2.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवराम [illegible])
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर